NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 18-06-2026

विषय सूची

VB-G RAM G को निरस्त करने की मांग

ईरान–संयुक्त राज्य अमेरिका शांति समझौता

भारत को वार्षिक रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक उच्च स्तर प्राप्त

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और उसकी राजकोषीय भूमिका में वृद्धि

संक्षिप्त समाचार

- पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को भारत-जापान द्वारा स्वीकृति प्रदान
- RBI द्वारा विदेशी मुद्रा एकत्रित करने हेतु बैंकों को NRI/PIO के लिए अधिक ब्याज दरें प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान
- नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (HEMCP)
- बिटुमेन
- शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अब भी तीव्र गति से जारी

VB-G RAM G को निरस्त करने की मांग

संदर्भ

- **विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन - ग्रामीण (VB-G RAM G) अधिनियम** को निरस्त करने की मांग करते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं श्रमिक संगठनों ने 1 जुलाई से विरोध-प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

VB-G RAM G के बारे में

- इसने **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा)** का स्थान लिया है।
  - यह **"मांग-आधारित ढाँचे"** से **"आपूर्ति-आधारित योजना"** की ओर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है।
- **उन्नत आजीविका गारंटी:** अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं, हेतु वैधानिक मजदूरी रोजगार की गारंटी को प्रति वित्तीय वर्ष **100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन** कर दिया गया है।
- **केंद्र प्रायोजित योजना:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
  - पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए व्यय साझेदारी का अनुपात **90:10** तथा अन्य सभी राज्यों के लिए **60:40** निर्धारित किया गया है।
- **कृषि के चरम मौसमों की सुरक्षा:** अधिनियम के अंतर्गत राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम **60 दिनों की अवधि** को अग्रिम रूप से अधिसूचित कर सकें, जिसमें बुवाई एवं कटाई जैसे कृषि के चरम मौसम सम्मिलित हों।
  - इस अवधि के दौरान अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कराए जाएंगे, जिससे कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त श्रमबल उपलब्ध हो सके।
- **मानक-आधारित निधि आवंटन:** राज्यों को पंचायतों की श्रेणियों तथा स्थानीय विकासात्मक आवश्यकताओं कaो ध्यान में रखते हुए जिलों एवं ग्राम पंचायतों के बीच निधियों का **पारदर्शी एवं आवश्यकता-आधारित वितरण** सुनिश्चित करना होगा।
- **बेरोजगारी भत्ता:** यदि पात्र आवेदकों को निर्धारित समय-सीमा के अंदर कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो राज्य सरकारों के लिए **बेरोजगारी भत्ता** प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- **VGPP आधारित योजना निर्माण:** योजना निर्माण **विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं** के माध्यम से किया जाएगा।
  - ccc इन योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किया जाएगा तथा राष्ट्रीय स्थानिक नियोजन प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- **संस्थागत पर्यवेक्षण:** अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा, निगरानी तथा प्रभावी कार्यान्वयन हेतु **केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद** तथा **राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों** का गठन किया जाएगा।

श्रमिकों द्वारा उठाई गई चिंताएँ

- **वित्तीय चिंताएँ:** सरकारी आँकड़ों के विश्लेषण से यह संकेत मिला है कि प्रस्तावित योजना के अंतर्गत **125 दिनों के रोजगार का वादा न तो पर्याप्त वित्तीय समर्थन प्राप्त है और न ही प्रशासनिक दृष्टि से व्यवहार्य है।**
  - कोई भी प्रमुख राज्य सक्रिय जॉब कार्डधारकों को वादित 125 दिनों के रोजगार का आधा भी उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं होगा।
- **मजदूरी दरों पर अस्पष्टता:** नियमों में मजदूरी दरों के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं हैं।
  - साथ ही, **वैधानिक न्यूनतम मजदूरी** की गारंटी भी सुनिश्चित नहीं की गई है।
- **तकनीकी विफलताएँ:** सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चेहरे की पहचान तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के निरंतर उपयोग का विरोध किया है।
  - उनका आरोप है कि तकनीकी विफलताओं के कारण श्रमिकों को बार-बार मजदूरी एवं कार्य-दिवसों की हानि उठानी पड़ी है।
- **मांग-आधारित से आपूर्ति-आधारित आवंटन की ओर परिवर्तन:** मनरेगा के अंतर्गत पूर्व व्यवस्था में राज्यों द्वारा **नीचे से ऊपर तथा मांग-आधारित अनुमान** तैयार किए जाते थे।

- नया अधिनियम **ऊपर से नीचे "मानक-आधारित" आवंटन प्रणाली** लागू करता है, जिसके मानदंड केंद्र सरकार द्वारा एकतरफा निर्धारित किए जाते हैं।

- **राज्यों पर अत्यधिक वित्तीय भार :** मनरेगा में केंद्र सरकार मजदूरी लागत का **100%** तथा सामग्री लागत का **75%** वहन करती थी।
  - इसके विपरीत, VB-G RAM G अधिनियम में **60:40 केंद्र-राज्य वित्तीय साझेदारी** का प्रावधान है।
  - अनेक राज्यों के लिए अपने **40% हिस्से** की व्यवस्था करना कठिन हो सकता है।
  - इससे विभिन्न राज्यों में योजना के असमान क्रियान्वयन तथा **क्षेत्रीय विषमताओं** के बढ़ने का जोखिम उत्पन्न होता है।

निष्कर्ष

- ग्रामीण भारत की बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पूरक सरकारी योजनाओं को समाहित करते हुए **एकीकृत एवं समग्र ग्रामीण विकास ढाँचे** की स्थापना हेतु अधिक सशक्त अभिसरण की आवश्यकता है।
- राष्ट्रीय विकास की प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समय-समय पर संशोधन किया जाना आवश्यक है, ताकि वे उभरती आवश्यकताओं एवं नई आकांक्षाओं के अनुरूप बने रह सकें।

Source: TH

ईरान–संयुक्त राज्य अमेरिका शांति समझौता

संदर्भ

- हालिया रिपोर्टों के अनुसार, **ईरान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** लंबे समय से चली आ रही तनावपूर्ण परिस्थितियों के बाद पुनः राजनयिक संवाद स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा पर सहमत हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- इस समझौते में **संयुक्त राज्य अमेरिका** और **ईरान** के बीच एक **14-सूत्रीय समझौता ज्ञापन (MoU)** शामिल है, जो तनाव-नियंत्रण, **होर्मुज़ जलडमरूमध्य** में वाणिज्यिक नौवहन की पुनर्स्थापना तथा प्रतिबंधों में राहत से संबंधित वार्ताओं के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।
- इसमें **लेबनान** सहित सभी सैन्य कार्रवाइयों पर तत्काल रोक तथा **60-दिवसीय वार्ता अवधि** का प्रावधान भी शामिल है।

ईरान–अमेरिका परमाणु कूटनीति का विकास

- **2015 का परमाणु समझौता: संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA)** पर **ईरान** और **P5+1 देशों** के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
  - इसके अंतर्गत **ईरान** ने प्रतिबंधों में राहत के बदले यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने तथा उन्नत निरीक्षण व्यवस्थाओं को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की थी।
- **अमेरिकी वापसी और पुनः बढ़ा तनाव:** वर्ष 2018 में **संयुक्त राज्य अमेरिका** ने **JCPOA** से स्वयं को अलग कर लिया तथा **ईरान** पर पुनः प्रतिबंध लागू कर दिए।

- इसके प्रत्युत्तर में **ईरान** ने समझौते के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को धीरे-धीरे कम करना आरम्भ कर दिया।

ईरान–अमेरिका समझौते के संभावित अवसर

- तनाव में कमी से क्षेत्र में सैन्य टकराव तथा प्रॉक्सी संघर्षों की आशंका कम होगी।
- स्थिर परिस्थितियाँ ऊर्जा आपूर्ति को सुचारु बनाए रखेंगी तथा वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता को कम करेंगी।
- बेहतर सुरक्षा वातावरण संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार, निवेश तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।
- **भारत** के लिए भी अनुकूल क्षेत्रीय परिस्थितियाँ **चाबहार बंदरगाह** तथा **अंतरराष्ट्रीयउत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC)** के विकास को गति देने हेतु आवश्यक हैं।

चुनौतियाँ

- क्षेत्रीय पक्षकारों के बीच गहरे स्तर पर व्याप्त अविश्वास स्थायी शांति की राह में प्रमुख बाधा बना हुआ है।
- गैर-राज्य सशस्त्र समूहों तथा प्रॉक्सी नेटवर्कों का प्रभाव क्षेत्रीय सुरक्षा को और अधिक जटिल बना सकता है।
- **ईरान** के परमाणु कार्यक्रम तथा भविष्य की क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित प्रमुख मतभेद अभी भी अनसुलझे हैं।

निष्कर्ष

- **ईरान** और **संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच यह राजनयिक पहल जटिल भू-राजनीतिक विवादों के समाधान में संवाद की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करती है।
- यद्यपि दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण मतभेद अभी भी विद्यमान हैं, तथापि क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने तथा **पश्चिम एशिया** में अधिक शांतिपूर्ण एवं सहयोगात्मक व्यवस्था स्थापित करने के लिए निरंतर कूटनीतिक प्रयास और विश्वास-निर्माण उपाय अत्यंत आवश्यक बने रहेंगे।

Source: TOI

भारत को वार्षिक रक्षा उत्पादन में ऐतिहासिक उच्च स्तर प्राप्त

संदर्भ

- वित्तीय वर्ष (FY) 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर **₹1.78 लाख करोड़** के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

परिचय

- यह विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में **15.6% की वृद्धि** तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में **110% की वृद्धि** को दर्शाता है।
- कुल रक्षा उत्पादन में **रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs)** एवं अन्य सार्वजनिक उपक्रमों का योगदान लगभग **76%** रहा, जबकि **निजी क्षेत्र** का योगदान **24%** रहा।
- वर्तमान में लगभग **65% रक्षा उपकरणों का उत्पादन देश में ही किया जा रहा है**, जबकि पहले भारत की आयात निर्भरता 65–70% तक थी।
- भारत ने वर्ष 2029 तक **₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन** तथा **₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात** का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रक्षा उत्पादन में वृद्धि के प्रमुख कारक

- **बढ़ता रक्षा बजट:**

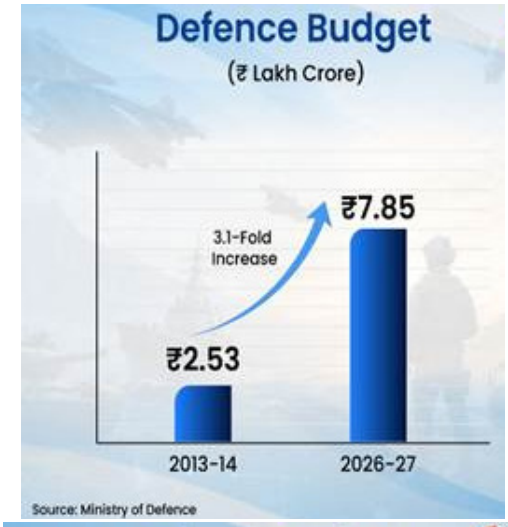

- **अनुसंधान, नवाचार एवं साझेदारी:** वित्तीय वर्ष 2026-27 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए आवंटन, वित्तीय वर्ष 2014-15 की तुलना में **112% से अधिक बढ़ा** है।
  - सरकार ने वर्ष 2022-23 में रक्षा R&D बजट का **25% उद्योगों, स्टार्ट-अप्स तथा शैक्षणिक संस्थानों** के लिए खोल दिया।
- **इनोवेशन्स फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX):** यह पहल एमएसएमई, स्टार्ट-अप्स, व्यक्तिगत नवोन्मेषकों, अनुसंधान संस्थानों तथा शिक्षाविदों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल करती है।
- **डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर (DcPP) मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत **DRDO** प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों से सक्षम विनिर्माण भागीदारों का चयन करता है।
  - इसके पश्चात उत्पादन हेतु आवश्यक प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जाता है।
- **तकनीकी आत्मनिर्भरता हेतु मानव संसाधन क्षमता निर्माण:** DRDO ने वर्ष 2020 में **पाँच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ (DYSLs)** स्थापित कीं तथा वर्ष 2026 में छठी प्रयोगशाला स्थापित किए जाने के साथ इनकी कुल संख्या **36** हो जाएगी।
  - नव-नियुक्त वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं में नियुक्ति से पूर्व **डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (DIAT)** में रक्षा प्रौद्योगिकी विषय में **दो वर्षीय एम.टेक. कार्यक्रम** पूरा करना अनिवार्य है।
- **आत्मनिर्भरता को प्रोतसाहन देने हेतु रक्षा अधिग्रहण सुधार: रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020** के माध्यम से स्वदेशी खरीद, घरेलू विनिर्माण तथा उच्च स्वदेशी सामग्री को प्राथमिकता दी गई।
- **भारत की रक्षा कूटनीति:** भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ साझेदारी का विस्तार किया है।
  - रक्षा सहयोग अब केवल सैन्य आदान-प्रदान तक सीमित न रहकर प्रौद्योगिकी सहयोग, औद्योगिक साझेदारी एवं संयुक्त विनिर्माण तक विस्तारित हो चुका है।

रक्षा स्वदेशीकरण सुधारों की आवश्यकता

- **रणनीतिक स्वायत्तता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा:** स्वदेशी रक्षा उत्पादन संकट अथवा भू-राजनीतिक तनाव की परिस्थितियों में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करता है।
- **क्षमता संबंधी अंतरालों समापन:** भारत को अपनी सीमाओं तथा **हिंद महासागर क्षेत्र (IOR)** में जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - सेना, नौसेना एवं वायुसेना के पुराने प्लेटफॉर्मों के प्रतिस्थापन हेतु आधुनिकीकरण आवश्यक है।
- **आयात व्यय में कमी एवं आर्थिक दक्षता को प्रोत्साहन:** भारत विश्व के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है।

- स्वदेशी उत्पादन दीर्घकाल में लागत को कम करता है, विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को घटाता है तथा घरेलू रक्षा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है।

- **घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार का सुदृढ़ीकरण:** स्वदेशीकरण रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों, एमएसएमई तथा निजी उद्योगों में नवाचार एवं विकास को प्रोत्साहित करता है।
- **तीव्र खरीद प्रक्रिया एवं परिचालन तत्परता:** घरेलू विनिर्माण खरीद प्रक्रियाओं को संक्षिप्त करता है तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **बेहतर अनुकूलन एवं अनुकूलनीयता:** स्वदेशी प्लेटफॉर्मों को भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों—हिमालयी उच्च क्षेत्र, मरुस्थल तथा समुद्री क्षेत्रों—के अनुरूप विकसित किया जा सकता है।
  - इससे बदलते सुरक्षा खतरों के अनुरूप निरंतर उन्नयन संभव होता है।
- **प्रौद्योगिकीय संप्रभुता:** स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास डिजाइन, उत्पादन तथा भविष्य के उन्नयनों में स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
  - साथ ही, यह प्रतिबंधों, आपूर्ति शृंखला व्यवधानों एवं प्रौद्योगिकी निषेधों से उत्पन्न जोखिमों को कम करता है।

भारत के बढ़ते रक्षा उत्पादन का महत्व

- **क्रेता से निर्माता बनने की संरचनात्मक परिवर्तन यात्रा:** भारतीय रक्षा उत्पादों का निर्यात अब विश्व के **80 से अधिक देशों** को किया जा रहा है।

- **रक्षा औद्योगिक क्षमता का विस्तार:** वर्तमान में भारत का स्वदेशी रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र **16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs)**, लगभग **500 लाइसेंस प्राप्त रक्षा कंपनियों** तथा लगभग **17,000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs)** से मिलकर बना है।
- **रक्षा औद्योगिक गलियारे:** वर्ष 2026 तक **उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे** में ₹42,057 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
  - **तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे** में **₹32,699 करोड़** के निवेश प्रस्ताव आकर्षित हुए।

प्रमुख सरकारी पहलें

- **रक्षा विनिर्माण में व्यवसाय सुगमता :** वर्ष 2015 में रक्षा लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता अवधि को बढ़ाकर **15 वर्ष** कर दिया गया, जिसे आगे **18 वर्ष** तक बढ़ाया जा सकता है।
  - **शस्त्र अधिनियम** के अंतर्गत कंपनियों को प्रदान किए गए लाइसेंस अब कंपनी के जीवनकाल तक वैध रहते हैं।
- **संशोधित रक्षा निर्यात-आयात पोर्टल:** यह पोर्टल आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया, स्वचालित कंपनी सत्यापन, सरल पंजीकरण, वास्तविक समय ट्रैकिंग तथा सुरक्षित भुगतान एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है।
- **उद्योगों के माध्यम से स्वदेशीकरण:** रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020 में **सृजन रक्षा पोर्टल** प्रारंभ किया।
  - इस पोर्टल पर DPSUs तथा सेवा मुख्यालय (SHQs) स्वदेशीकरण हेतु रक्षा सामग्रियों की सूची उद्योगों, विशेषकर MSMEs एवं स्टार्ट-अप्स, को उपलब्ध कराते हैं।
- **सृजन डीप :** रक्षा उत्पादन विभाग ने **Srijan DEEP (रक्षा प्रतिष्ठान और उद्यमी मंच)** विकसित किया है।
  - यह रक्षा उद्योगों का एक डिजिटल डेटाबेस है।
  - यह पोर्टल रक्षा निर्माताओं, MSMEs, सेवा प्रदाताओं एवं प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिए एक व्यापक भंडार के रूप में कार्य करता है।
- **रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):** वर्ष 2020 में रक्षा क्षेत्र में FDI सीमा को **स्वचालित मार्ग** से **74%** तथा **सरकारी मार्ग** से **100%** तक बढ़ा दिया गया।

- **रणनीतिक साझेदारी (SP) मॉडल:** वर्ष 2017 में भारतीय कंपनियों एवं वैश्विक **मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs)** के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करने के उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया।
  - इन साझेदारियों का मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण तथा भारत में विनिर्माण अवसंरचना का विकास है।

आगे की राह

- रणनीतिक नीतिगत हस्तक्षेपों, घरेलू भागीदारी में वृद्धि तथा स्वदेशी नवाचार पर विशेष बल के संयोजन ने भारत की रक्षा क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है।
- वर्ष 2029 के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ भारत वैश्विक रक्षा बाजार में अपनी उपस्थिति को अधिक विस्तारित करने की दिशा में अग्रसर है। इससे भारत न केवल अंतरराष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करेगा, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

Source: TH

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और उसकी राजकोषीय भूमिका में वृद्धि

संदर्भ

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए **केंद्र सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण** को स्वीकृति प्रदान की है।

आर्थिक पूंजी रूपरेखा (ECF)

- **आर्थिक पूंजी रूपरेखा (ECF)** यह निर्धारित करती है कि RBI अपनी पूंजीगत आरक्षित निधियों का प्रबंधन किस प्रकार करेगा तथा सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित कर सकता है।
- इसका प्रारूप मूलतः **बिमल जालान समिति** की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था तथा इसे वर्ष 2019 में RBI की **578वीं बैठक** में अपनाया गया।
- बिमल जालान समिति ने **ECF की प्रत्येक पाँच वर्ष में समीक्षा** किए जाने की अनुशंसा की थी।

RBI की आय के स्रोत एवं लाभांश निर्धारण की प्रक्रिया

- यद्यपि RBI का प्राथमिक उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि **आर्थिक स्थिरता बनाए रखना** है।
- इसके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं—
  - मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना (मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना),
  - मुद्रा निर्गमन का प्रबंधन,
  - विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन,
  - बैंकिंग प्रणाली का विनियमन,
  - तथा सरकारी ऋण का प्रबंधन।
- इन कार्यों के बावजूद, RBI की गतिविधियों के परिणामस्वरूप लाभ उत्पन्न हो सकता है।
- RBI की आय के प्रमुख स्रोत:
  - अपने पास धारित **सरकारी प्रतिभूतियों** पर प्राप्त ब्याज।
  - बैंकों को ऋण प्रदान करने से प्राप्त आय (जैसे—रेपो परिचालन)।
  - विदेशी मुद्रा परिचालनों (डॉलर की खरीद एवं बिक्री) से प्राप्त आय।
  - **सिग्नियोरेज** — मुद्रा मुद्रण से प्राप्त लाभ (क्योंकि मुद्रा छापने की लागत उसके अंकित मूल्य से कम होती है)।
  - **बाजार परिचालन** — तरलता नियंत्रण हेतु परिसंपत्तियों की खरीद-बिक्री से प्राप्त ब्याज अथवा पूंजीगत लाभ।

• How RBI earned and spent money in FY26

	2024-25 (Rs cr)	2025-26 (Rs cr)
Interest from rupee securities	85,525	117,740
Interest from foreign securities	97,007	107,679
Interest on foreign deposits	36,195	27,407
Net interest on liquidity operations	-10,120	-19,163
Exchange gain from forex transactions	111,143	168,906
TOTAL INCOME	**338,308**	**427,684**
Printing of notes	6,373	4,875
Employee cost	9,147	10,136
Provisions	44,862	109,380
TOTAL EXPENDITURE	**69,714**	**141,092**
Dividend to government	**268,590**	**286,588**

RBI की बढ़ती राजकोषीय भूमिका से जुड़ी चिंताएँ

- **केंद्रीय बैंक का राजकोषीयकरण:** RBI का मूल दायित्व **मूल्य स्थिरता** एवं **वित्तीय स्थिरता** बनाए रखना है।
  - अधिशेष हस्तांतरण की राशि के लगातार बढ़ने और अधिक बार होने से **मौद्रिक नीति के उद्देश्यों** तथा **सरकार की राजकोषीय आवश्यकताओं** के बीच की सीमा अस्पष्ट हो सकती है।
- **राजकोषीय अनुशासन के लिए जोखिम:** बड़े अधिशेष हस्तांतरण सरकार को अतिरिक्त राजकोषीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं।
  - इससे सब्सिडियों के युक्तिकरण तथा सार्वजनिक व्यय की दक्षता में सुधार जैसे **संरचनात्मक सुधारों** को लागू करने की तात्कालिकता कम हो सकती है।
- **स्थायित्व संबंधी चिंताएँ:** RBI की आय का एक बड़ा भाग विदेशी मुद्रा परिचालनों, आरक्षित निधि प्रबंधन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्राप्त प्रतिफलों से आता है।
  - ये आय वैश्विक ब्याज दरों, विनिमय दरों के उतार-चढ़ाव तथा वित्तीय बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं।
  - चूँकि ये आय स्वभावतः अस्थिर होती हैं, इसलिए इन्हें राजस्व का स्थायी स्रोत मानना भविष्य में राजकोषीय जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

आगे की राह

- RBI के **मौद्रिक नीति संबंधी निर्णयों** को राजकोषीय विचारों से प्रभावित नहीं होना चाहिए।
- आरक्षित निधियों के प्रबंधन तथा अधिशेष की गणना के संबंध में **अधिक पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण** आवश्यक है, जिससे जनता का विश्वास सुदृढ़ हो सके।
- सरकारों को RBI से प्राप्त अधिशेष को **पूरक राजस्व** के रूप में देखना चाहिए, न कि स्थायी राजकोषीय संसाधन के रूप में।
- बाह्य आघातों एवं आर्थिक संकटों की स्थिति में वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI को पर्याप्त **सुरक्षात्मक आरक्षित निधियाँ** बनाए रखनी चाहिए।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को भारत-जापान द्वारा स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- भारत और जापान ने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है।

परिचय

- यह तंत्र उन शमन परियोजनाओं पर सहयोग हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम अथवा समाप्त करती हैं तथा भारत में सतत विकास को बढ़ावा देती हैं।
- यह पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत एवं जापान दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की प्राप्ति में भी योगदान देगा।
- कार्यान्वयन नियमों के प्रमुख प्रावधान: इन नियमों में तंत्र के लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई हैं—
  - दोनों देशों के प्रतिनिधियों से युक्त संयुक्त समिति की स्थापना।
  - परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु पारदर्शी प्रक्रियाएँ।
  - तृतीय-पक्ष सत्यापन एवं प्रमाणीकरण प्रक्रियाएँ।
  - सतत विकास सुरक्षा उपाय।
  - कार्बन क्रेडिट के निर्गमन एवं हस्तांतरण की निगरानी हेतु राष्ट्रीय रजिस्ट्रियों की स्थापना।

पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6.2

- अनुच्छेद 6.2 देशों को अपने जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उत्सर्जन कटौती इकाइयों (कार्बन क्रेडिट) के आदान-प्रदान एवं व्यापार की अनुमति प्रदान करता है।
- मेजबान देश निवेश, क्षमता निर्माण सहायता तथा घरेलू संसाधनों से उपलब्ध न होने वाली प्रौद्योगिकियों तक पहुँच के बदले इन इकाइयों को क्रेता देश को बेचता है।

- क्रेता देश इन इकाइयों को, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय रूप से हस्तांतरित शमन परिणाम कहा जाता है, अपने जलवायु लक्ष्यों की पूर्ति में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए खरीदता है।

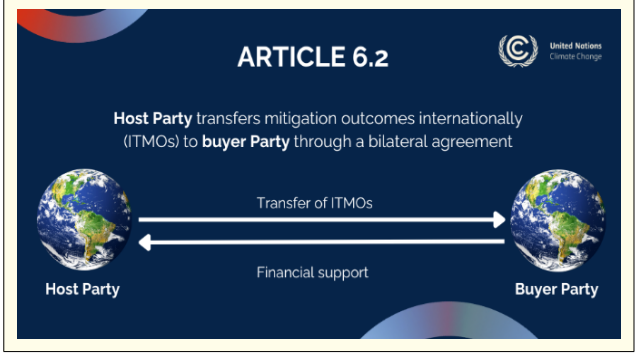

स्रोत: AIR

RBI द्वारा विदेशी मुद्रा एकत्रित करने हेतु बैंकों को NRI/PIO के लिए अधिक ब्याज दरें प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- RBI के निर्देशों के अनुसार NRE/NRO जमा पर ब्याज दरें, तुलनीय घरेलू रुपया सावधि जमाओं पर बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

परिचय

- RBI ने विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3 से 5 वर्ष की अवधि वाली नई विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR(B)] जमाओं पर ब्याज दरों की अधिकतम सीमा तथा 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली अनिवासी बाह्य (NRE) जमाओं पर ब्याज दर संबंधी प्रतिबंधों को 30 सितंबर, 2026 तक अस्थायी रूप से हटा दिया है।
- **महत्त्व:** इस निर्णय से अनिवासी भारतीयों (NRIs) तथा भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को भारतीय बैंकों में अपनी धनराशि जमा करने पर अधिक ब्याज दरों का लाभ प्राप्त होगा।
  - इससे भारत को विदेशी मुद्रा, विशेषकर डॉलर, जुटाने में सहायता मिलेगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी।
  - यह अवमूल्यनशील रुपये को समर्थन प्रदान करने तथा भुगतान संतुलन संबंधी दायित्वों को पूरा करने में सहायक होगा।

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [FCNR(B)] खाता

- FCNR(B) खाता वह खाता है जिसमें जमा राशि विदेशी मुद्रा में रखी जाती है।
- इससे जमाकर्ता को विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्राप्त होती है।
- केवल NRI, PIO एवं OCI ही FCNR(B) खाता खोल सकते हैं तथा NRI की स्थिति विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए।
- इसमें जमा राशि अमेरिकी डॉलर (USD), ब्रिटिश पाउंड (GBP), यूरो (EUR), जापानी येन (JPY), ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (AUD), कनाडाई डॉलर (CAD) आदि विदेशी मुद्राओं में रखी जा सकती है।
- यह केवल सावधि जमा के रूप में उपलब्ध होता है, जिसकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है।
- इन खातों का उद्देश्य NRI समुदाय से विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुदृढ़ करना तथा जमाकर्ताओं को मुद्रा उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना है।

स्रोत: TH

नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (HEMCP)

संदर्भ

- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने ₹300 करोड़ की लागत से नागपुर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना (HEMCP) की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है।

चिकित्सा साइक्लोट्रॉन क्या है?

- चिकित्सा साइक्लोट्रॉन एक विशेष प्रकार का कण त्वरक है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में उपयोग होने वाले रेडियोआइसोटोप का उत्पादन करता है।
- यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों की सहायता से प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों को अत्यधिक गति प्रदान करता है।

- तत्पश्चात इन तीव्र गति वाले कणों को लक्ष्य पदार्थ पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं और रेडियोआइसोटोप उत्पन्न होते हैं।
- **रेडियोआइसोटोप के उपयोग:** उत्पादित रेडियोआइसोटोप का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है—
  - PET (पॉज़िट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी) स्कैन एवं PET-CT इमेजिंग।
  - विभिन्न नाभिकीय चिकित्सा निदान प्रक्रियाएँ।
  - कैंसर जैसी बीमारियों के उपचार हेतु लक्षित रेडियोन्यूक्लाइड चिकित्सा।
- **प्रमुख चिकित्सा रेडियोआइसोटोप:**
  - फ्लोरीन-18 (F-18)
  - गैलियम-68 (Ga-68)
  - ल्यूटेशियम-177 (Lu-177) आदि।

स्रोत: TH

बिटुमेन

संदर्भ

- पश्चिम एशिया में हालिया संघर्ष का प्रभाव भारत की सड़क अवसंरचना विस्तार योजनाओं पर पड़ा है, क्योंकि भारत अपनी बिटुमेन आवश्यकता का लगभग 30–40% आयात करता है।
  - भारत के कुल बिटुमेन आयात का 99% से अधिक हिस्सा इराक, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ईरान, ओमान तथा बहरीन से प्राप्त होता है।

बिटुमेन

- बिटुमेन कच्चे तेल का एक उप-उत्पाद है, जो अपनी जलरोधक एवं आसंजन विशेषताओं के लिए जाना जाता है।
- इसका उपयोग मुख्यतः सड़क निर्माण तथा छत निर्माण में किया जाता है।
- कनाडा में तेल बालू के रूप में बिटुमेन के विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक भंडारों में से एक पाया जाता है, जो वैश्विक आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
  - बिटुमिनस बालू के अन्य प्रमुख भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेज़ुएला तथा रूस में भी पाए जाते हैं।
- बिटुमेन का उत्पादन रिफाइनरियों में किया जाता है, जिससे इसकी शुद्धता सुनिश्चित होती है, गुणवत्ता में एकरूपता बनी रहती है तथा वैश्विक निर्माण क्षेत्र की विशाल मांग को अपेक्षाकृत कम लागत पर पूरा किया जा सकता है।

स्रोत: IE

शोधकर्ताओं के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अब भी तीव्र गति से जारी

संदर्भ

- विस्फोटित होने वाले एक विशेष प्रकार के तारों से संबंधित आँकड़ों का पुनः विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं के एक दल ने यह पुष्टि की है कि ब्रह्मांड का विस्तार त्वरित गति से हो रहा है।
  - वर्ष 1990 के दशक में किए गए ऐसे ही अवलोकनों के परिणामस्वरूप डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय ब्रह्मांडीय शक्ति की पहचान हुई थी।

डार्क मैटर एवं डार्क एनर्जी

- व्यापक रूप से यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की संरचना तीन प्रकार के घटकों से मिलकर बनी है—
  - सामान्य पदार्थ
  - डार्क मैटर
  - डार्क एनर्जी
- अनुमानतः ब्रह्मांड का लगभग 68% भाग डार्क एनर्जी, 27% भाग डार्क मैटर तथा शेष 5% से भी कम भाग सामान्य पदार्थ से निर्मित है।
- **डार्क मैटर :** सामान्य पदार्थ के विपरीत, डार्क मैटर विद्युतचुंबकीय बल के साथ अंतःक्रिया नहीं करता।
  - इसका अर्थ है कि यह न तो प्रकाश का अवशोषण करता है, न परावर्तन करता है और न ही उत्सर्जन करता है, जिससे इसका प्रत्यक्ष अवलोकन अत्यंत कठिन हो जाता है।
  - डार्क मैटर एक आकर्षण बल की भाँति कार्य करता है तथा ब्रह्मांड को एक साथ बाँधे रखने वाले ब्रह्मांडीय सीमेंट के समान माना जाता है।

- ऐसा इसलिए है क्योंकि डार्क मैटर गुरुत्वाकर्षण बल के साथ अंतःक्रिया करता है।
- चूँकि यह प्रकाश का उत्सर्जन, अवशोषण अथवा परावर्तन नहीं करता, इसलिए खगोलविद इसके प्रभावों का अध्ययन केवल दृश्यमान पदार्थों, जैसे तारों एवं आकाशगंगाओं, पर पड़ने वाले गुरुत्वीय प्रभाव के माध्यम से करते हैं।

- **डार्क एनर्जी :** डार्क एनर्जी एक प्रतिकर्षण बल के रूप में कार्य करती है।
  - इसे एक प्रकार का प्रतिगुरुत्व माना जाता है, जो ब्रह्मांड के निरंतर त्वरित विस्तार को प्रेरित करता है।
  - डार्क एनर्जी, डार्क मैटर की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली एवं प्रमुख शक्ति मानी जाती है।

स्रोत: TH

■■■

NEXT IAS